

Order No:- 498L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri V. Srinivas Prasad** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **174** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	RUCHITHA	SATHYANARAYANA T.V, MOB-07760445897	1	CHAMARAJANAGAR
2	GOWTHAMI MIHIRA	RAMESH M, MOB-09141434610, 09886629899	1	CHAMARAJANAGAR
3	HRUTHVIK N	S. NANDISH, MOB-08277378117	1	CHAMARAJANAGAR
4	BHAVAN CHANDRA R	P. RAMESH, MOB-09740563657/09663307242	4	CHAMARAJANAGAR
5	SUNAG ACHARYA	EESHWARA ACHARYA, MOB-09739881844	4	CHAMARAJANAGAR
6	BHUVAN RAJ	RAVIKUMAR M., MOB-09538286317	2	CHAMARAJANAGAR
7	MUNANTH SRIRANGA	PRABHU SWAMY, MOB-09448402261	1	CHAMARAJANAGAR
8	KANASU	RAVIKUMAR M., MOB-09535814155	1	CHAMARAJANAGAR
9	VAAGMAI S. WODEYAR	SANNATHAMMAPPAIAH WODEYAR, MOB-09920742525	1	CHAMARAJANAGAR
10	PRAPTHI NAYAKA P	PREM KUMAR.M, MOB-09008957007	1	CHAMARAJANAGAR

प. उ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri V. Srinivas Prasad माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **BANGALORE** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)